भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद द्वारा निर्मलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संस्कृत नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इस अधिनियम का संस्कृत नाम सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 है।
(2) यह उस तारीखः को प्रचुर होना जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
(3) यह बचत-पत्रों के ऐसे वर्ष को लागू है जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनियित करे।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिविध न हो—

(i) “बाजार” से बचत-पत्र के संबंध में अभिविध है।

(ii) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम और इसके अधीन अतिसारों ने इसकी नियमों के अनुसार जारी किया गया बचत-पत्र किसी समय उस तारीख में पूर्व, 2005 जिसको बिंद बिवेक, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, धारण करता है; और

(iii) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम और इसके अधीन अतिसारों ने इसकी नियमों के अनुसार जारी किया गया बचत-पत्र किसी समय उस तारीख को या उसके पश्चात, जिसको बिंद बिवेक, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, धारण करता है।

(क) “अवयवर” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिविध है जिसके बारे में यह नहीं समझा गया है कि उसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अधीन बाजार का अधिकार करती है;

(क्रिया) “मित्रपत्र” से इस अधिनियम के अधीन बाधित एवं नियमों द्वारा मित्रपत्र अभिविध है;

(ग) “बाजार-पत्र” से ऐसा बाजार-पत्र अभिविध है जिसे यह अधिनियम प्राप्त है;

(घ) “अंतरण” से जीती व्यक्तियों के बीच अन्तरण अभिविध है और इसके अन्तर्गत विधि की क्रिया द्वारा अंतरण नहीं आता है।

3. बचत-पत्रों के अंतरण पर निर्देश—किसी तस्वीर में किसी वात के होते हुए भी, बचत-पत्र का कोई भी अंतरण, जब वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा पश्चात किया गया हो, विधिमार्ग नहीं होगा जब तक वह विभिन्न प्रारंभक की पूर्व लिखित समस्ति से न किया गया हो।

4. अवयवकों द्वारा अतिसार उक्ती के लिए ध्यान करना—किसी तस्वीर में किसी उपक्रम के होते हुए भी—

(क) कोई अवयस्क बाजार-पत्र के लिए आवेदन और उक्त ध्यान कर सकता तथा कोई अन्य व्यक्ति अवयस्क की ओर से बाजार-पत्र के लिए आवेदन और उक्त ध्यान कर सकता है।

(ख) जहां कि कोई बाजार-पत्र किसी अवयस्क द्वारा अतिसार उक्ती के लिए ध्यान किया गया है, वहां अवयस्क इस अधिनियम के और इसके अधीन अतिसारों ने इसकी नियमों के अनुसार, जो ऐसे बाजार-पत्र को लागू है, तथा बाजार-पत्र के आवेदन द्वारा उक्त नियमों के अनुसार में की गई शर्त की पूर्ति से आवश्यक होगा भले ही इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व अथवा पश्चात उस बाजार-पत्र के लिए आवेदन किया गया और वह बाजार-पत्र दिया गया हो।

5. अवयस्क द्वारा अतिसार उक्ती के लिए ध्यान करना—किसी अवयस्क द्वारा अतिसार उक्ती के लिए ध्यान करना है।

* 1963 के अधिनियम सं॰ 7 की धारा 3 और अनुभव 1 द्वारा सरकार 1-10-1963 में यह अधिनियम पारित किया गया।
1 1959 का राष्ट्रपती की अनुमित परंपरा से प्रवृत्त हुआ।
2 सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 का राष्ट्रपति की अनुमित परंपरा से प्रवृत्त हुआ।
3 2005 के अधिनियम सं॰ 18 की धारा 117 द्वारा प्रतिस्थापित।
उस व्यक्ति के अधिकार के अधीन रहते हुए होगा जो उसे ऐसा धारण किया है। उसकी ओर से धृत है वहां ऐसी धृत का पर्यावरण न होगा वह नामिनदशन का अधिकार की जाएगी।

1 1985 के अधिनियम सं 56 की धारा 3 द्वारा (4-9-1985 से) व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित।
उन सब ऋणया अन्य मांग की रकम की कटौती करके उसके हाथ में अविश्वस्त है जो पर्शासन के समयक अनुकर्म में उसके आरा शासकीय राजपतर सिधा आरा अधिनयम के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई राशि के अर्थ से अन्यथा पराप्त कर ले।

बचत-पत्र पर शोध्य राशि की अदायगी वह व्यक्ति वह व्यक्ति से बचत-पत्र के पिरपक्व होने से पूर्व अथवा बचत-पत्र के नियमों में अनुशरण कर पर सकता।

बचत-पत्र के धारक को कोई लेखन या उसकी संगठन के विश्वस्त दावेवार अपने क्रण अथवा दावे की बस्तु/इस अधिनियम के अंश अथवा व्यक्ति को दी गई राशि से, जो उसके हाथ में अपराधशास्त्र उसी रीति से और उसी सीमा तक कर सके नीची से और जिस सीमा तक ऐसा व्यक्ति मुक्त की संपत्ति का प्रशासन प्राप्त कर लेने पर कर सकता।

उपधारा (1) दी गई या उन्माल की राशि को भारत का राजपतर सिधा आरा अधीन अपराध का दोषी समझा जाएगा।

उपधारा (2) वजन वरुङ्ग न होगी उस व्यक्ति के अधकार का सत्संबंधी बातचीत या अवकाश या अधिकार से अनुभाग वरुङ्ग न होगी, अन्य रीत से वसूल करने के लिए आशियत है।

उपधारा (3) अन्य रीत से वसूली भारतीय सरकार इस अधिनियम के पर्योजना के लिए लिखित प्रतिपुरूप के लिए पूर्ववर्तमान नियम प्रकट नहीं कर सकता।

के अधीन सीमा का सीमांकन उसके हाथ में अविश्वस्त है जो पर्शासन के समयक अनुकर्म में उसके हाथ में अविश्वस्त है।

उपधारा (4) के अधीन दोहरा धारा की उपधारा (5) की उपधारा के अधीन अदायगी का अभिनश्चय करने के लिए , व्यापक अधिनियम पर साप्ताहिक उम्मीद के अनुसार ले सके जो उसके अधिकार का दोषी समझा जाएगा।

उपधारा (5) के अधीन अदायगी का अभिनश्चय करने के लिए, व्यस्त के अधीन सीमा तक अन्य सीमा तक जो उसके अधिकार का दोषी समझा जाएगा।

उपधारा (6) के अधीन सीमा तक जो उसके अधिकार का दोषी सत्संबंधी बातचीत या अवकाश या अधिकार से अनुभाग वरुङ्ग न होगी, अन्य रीत से वसूल करने के लिए आशियत है।

उपधारा (7) वह राशि देने की शक्ति—(1) विविध प्रशासन वरुङ्ग न होगी उस व्यक्ति के अधिकार का, जिसका यह दावा है कि अदायगी उन्माल लेने वाले अनुकर्म अधिनियम पर अधिनियम के साथ सीमा के अनुसार ले सकें जो उसके अधिकार का दोषी समझा जाएगा।

उपधारा (8) की उपधारा (4) के अधीन अदायगी का अभिनश्चय करने के लिए, नियात अधिनियम पर साथ उस विवध के अनुसार ले सकें जो अधिकार का दोषी समझा जाएगा।

उपधारा (9) के अधीन अदायगी का अभिनश्चय करने के लिए नियम1, शासन की राजधारा उसके हाथ में अवस्थित।

1960, भाग 2, अनुभाग 3(i), पृष्ठ 968-983.

1985 के अधिनियम मं-56 की धारा 3 द्वारा अवश्यक।
(3) कोई अन्य विषय जो चिह्नित किया जाना है या किया जाए।

[(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रथम सदन के समाध, जब वह सदन में हो, कूल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अतुल्य सतर्क संसदों में पूरी हो सकती। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आत्मक्ष के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यह ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उसके सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

13. निरसन और प्रमुख—(1) पोस्ट आफिस एनर्जेज में विभिन्न सर्टिफिकेट्स आडिटर्स, 1944 (1944 का 42) एनद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उक्त आडिटर्स के निरसन के होने पर भी यह है शक्ति रूप से बनाए गए कारर्वाई की गई या की गई कार्यकाल, इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधिनियम अंतर्गत उन्हें शक्ति के प्रयोग में वैसे ही की गई समझी जाएगी तथा यह अधिनियम उस दिन प्रभाव वा जब ऐसे नियम बने, ऐसी बात की गई या ऐसी कार्यकाल की गई।